क्रम संख्या—14

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (बीमा) अनुभाग

संख्या बीमा–1671/दस-81

लखनऊ, 30 जनवरी, 1982

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश संख्या बीमा 1316/दस-16–80, दिनांक 21-10-81 के प्रस्तर–5 को सन्दर्भित करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह निर्देश जारी किये गए हैं कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सामूहिक बीमा योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान शासन को देना होगा, चाहे वह ड्यूटी पर हो, चाहे अवकाश पर हों अथवा निलम्बित हों। अवकाश की अवधि तथा निलम्बन की अवधि में चूंकि उनका रिस्क कवर्ड रहेगा, इसलिए उक्त अवधियों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है। इन निर्देशों के बारे में कुछ स्तरों से इस आशय की जिज्ञासायें प्राप्त हो रही हैं कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऐसी अवधियों, जिनमें उन्हें कोई अवकाश वेतन/वेतन देय नहीं होता है, से सम्बन्धित मासिक अभिदान जमा कराये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी अवधियों, जिसमें कोई अवकाश वेतन/वेतन देय नहीं होता, की समाप्ति पर जब सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर आये, तब उसके अगले वेतन बिल, जिसमें उसका वेतन आहरित किया जाये, से उस अवधि, जिसमें उसे कोई वेतन देय नहीं था, से बकाया अभिदान समायोजित कर लिया जाये। यदि असाधारण अवकाश की अवधि में किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवारत मृत्यु हो जाती है, तो उस अवधि का अभिदान सम्बन्धित लाभार्थी से ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा लिया जाये और मृतक से सम्बन्धित दावा राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निदेशालय को सन्दर्भित करते समय इस बात का स्पष्टतया उल्लेख कर दिया जाये कि अमुक अवधि से सम्बन्धित बकाया अभिदान ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा दी गई है।

शिवशंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।